म क्र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहि
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

बिहारी मिश्री उर्फ बिहारी राम, पिता-स्व0 मनी मिश्री, ग्राम-लाखे, पोस्ट-कोर्रा, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-06, प्लॉट संख्या-1076 रकवा-05 डी0 भूमि निलम कुमारी, पति-कैलाश कुमार दास, ग्राम-सिलवारकला, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 341/2022 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता निलम कुमारी एवं विक्रेता बिहारी राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि सर्वे रैयती भूमि है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.82.50 एकड़ भूमि बचेगी। भूमि आवेदक को खतियानी से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 133/II पर अमृत दुसाध के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं अमृत दुसाध के नाम दर्ज है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता बिहारी राम उर्फ बिहारी मिश्री का अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2018/98634 दिनांक 28.02.2018 एवं अंचल अधिकारी, सदर द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCC/2018/102142 दिनांक 23.02.2018 और क्रेता निलम कुमारी का अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2019/397700 दिनांक 29.06.2019 एवं अंचल अधिकारी, मयूरहंड, चतरा द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2021/05236 दिनांक 22.01.2021 के आधार पर तथा अंचल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी त
1	2	3
	अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-लाखे, थाना नं0-155, खाता संख्या-06, प्लॉट संख्या-1076 रकवा-05 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.16 14:58:21 +05:30
Location: 192.168.100.2